



सार्वजनिक सूचना  
सुझाव/आपत्ति/मंतव्य के लिए अनुरोध

- बिहार राज्य में वितरण लाइसेंसी नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने सभी हितधारकों एवं सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष उर्पयुक्त बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियामवली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक खर्च, वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा विद्युत बिक्री दर के निर्धारण के लिए दिनांक 15.11.2025 को याचिका समर्पित किया गया है एवं जो माननीय आयोग के अभिलेख के अनुसार वाद संख्या-50/2025के रूप में दर्ज किया गया है।
- उपर्युक्त कंडिका 1 में संदर्भित टैरिफ याचिका के आधार पर टैरिफ याचिका का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है :-  
टैरिफ याचिका का सारांश

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	विवरणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वास्तविक खर्च)		वित्तीय वर्ष 2025-26 (वार्षिक समीक्षा)		वित्तीय वर्ष 2026-27 (वार्षिक राजस्व आवश्यकता)	
		टैरिफऑर्डर दिनांक 01.03.2024 में अनुमोदित	अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक खर्च में दावा किया गया है	टैरिफऑर्डर दिनांक 28.03.2025 में अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक समीक्षा हेतु संशोधित अनुमान	टैरिफऑर्डर दिनांक 28.03.2025 में अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उपभोक्ताओं की संख्या	13,220,457	13,424,608	13,373,467	13,881,296	13,733,038	14364004
2	कनेक्टेड लोड (किलोवाट)	1,42,65,716	1,43,43,257	14619978	14981332	15,368799	15635512
3	उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिक्री नेपाल को बिक्र सहित (एम०यू०)	16,935.05	16989.46	16289.40	18148.03	17165.63	19973.02
4	राज्यान्तरिक ट्रांसमिशन हानि (%)	3.00%	2.93%	2.56%	2.56%	2.56%	2.56%
5	वितरण हानि (%)	14.55%	11.46%	14.12%	14.12%	13.71%	13.71%
6	राज्य ट्रांस परिधि में आवश्यक ऊर्जा (एम०यू०)	20,376.46	19745.89	19,439.46	22944.03	20,388.81	23754.51
7	पूँजीगत व्यय	3716.12	2596.22	-	4013.14	-	948.43
8	पूँजीकरण	3000.06	1577.47	2165.98	4,334.75	1319.66	1,042.84
9	कुल बिजली खरीद लागत	10623.29	10903.36	9908.39	11,732.48	10581.35	11,698.13
10	ट्रांसमिशन शुल्क	2267.46	1795.63	1835.50	1,679.90	2084.91	1,740.01
11	सं० एवं सम्पो० खर्च(i+ii+iii+iv)	<b>1309.3</b>	<b>1325.69</b>	<b>1066.76</b>	<b>1569.27</b>	<b>1143.86</b>	<b>2133.89</b>
i)	कर्मचारी लागत	527.33	515.32	523.71	519.27	559.37	554.70

let

क्र०सं०	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वास्तविक खर्च)		वित्तीय वर्ष 2025-26 (वार्षिक समीक्षा)		वित्तीय वर्ष 2026-27 (वार्षिक राजस्व आवश्यकता)	
		टैरिफऑर्डर दिनांक 01.03.2024 में अनुमोदित	अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक खर्च में दावा किया गया है	टैरिफऑर्डर दिनांक 28.03.2025 में अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक समीक्षा हेतु संशोधित अनुमान	टैरिफऑर्डर दिनांक 28.03.2025 में अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता
ii)	आर0 एण्ड एम0 खर्च	279.09	277.35	236.97	236.19	257.40	277.82
iii)	ए0 और जी0 व्यय	477.12	508	268.13	786.99	287.07	1272.61
iv)	होल्डिंग कंपनी के खर्च का हिस्सा	25.76	25.02	37.94	26.82	40.01	28.76
12	मूल्याह्रास	489.88	529.16	428.33	663.16	485.12	682.39
13	ऋण पर ब्याज	696.12	530.37	637.81	617.70	693.84	700.14
14	अन्य वित्त प्रभार पर	61.35	62.08	73.78	68.29	81.16	75.12
15	लाभांश	453.97	463.44	531.27	523.92	604.47	618.42
16	सुरक्षा जमा पर ब्याज	31.87	13.21	35.48	35.51	37.95	38.01
17	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.00	0.00	7.60	26.28	9.24	38.46
18	खराब एवं सदिग्ध ऋण	-	-	-	-	-	-
19	ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts)	-	-	-	-	-	-
20	मांग पक्ष प्रबंधन(DSM)	30.00	30.00	0.00	-	0.00	-
21	कुल राजस्व आवश्यकता (9 से 20 तक का जोड़)	15963.24	15652.94	14524.92	16,916.51	15721.90	17,724.56
22	कम : गैर टैरिफ आय	783.08	412.69	558.83	340.90	568.06	332.81
23	नेट कुल राजस्व आवश्यकता(21-22)	15180.16	15240.26	13966.09	16,575.60	15153.85	17,391.74
24	कम: लाइसेंसधारी द्वारा अवशोषित नियंत्रणीय कारकों के कारण (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-
25	कम: उपभोक्ता को नियंत्रणीय कारकों के कारण दिये जाने वाले लाभ	-	270.51	-	-	-	-
26	जोड़ : पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 का टूट अप राजस्व गैप/(अधिशेष) वाहन लागत के साथ	899.14	899.14	(891.54)	-	-	(185.84) (रु0 153.59 करोड़ जोड़ वहन लागत)
27	कुल राजस्व आवश्यकता (23 से 26 तक का जोड़)	16079.3	15868.89	13074.55	-	-	17205.90

क्र०सं०	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वास्तविक खर्च)		वित्तीय वर्ष 2025-26 (वार्षिक समीक्षा)		वित्तीय वर्ष 2026-27 (वार्षिक राजस्व आवश्यकता)	
		टैरिफऑर्डर दिनांक 01.03.2024 में अनुमोदित	अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक खर्च में दावा किया गया है	टैरिफऑर्डर दिनांक 28.03.2025 में अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक समीक्षा हेतु संशोधित अनुमान	टैरिफऑर्डर दिनांक 28.03.2025 में अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता
28	राजस्व	15,476.99	16,022.48	15055.29	16,517.67		17,589.03
29	नेट राजस्व गैप / (अधिशेष) (27-28)	602.31	(153.59)	(1980.74)	57.93		(383.12)

**(क) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित टैरिफ**

"APTEL के निर्णय (RP No. 21/2023 एवं RP No.22/2023) दिनांक 19.12.2024 के अनुरूप, पूर्व अवधि के अंतर की वसूली हेतु एनबीपीडीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रख गये है:-

**I. टैरिफ युक्तिकरण / पहल :**

- डीएस-II, एनडीएस-I और एनडीएस-II श्रेणी के लिए एकल स्लैब का प्रस्ताव, जिसमें वर्तमान लागू न्यूनतम स्लैब का टैरिफ लागू होगा।
- एनडीएस-II (0.5 किलोवाट तक) श्रेणी -नियत शुल्क को  200/कनेक्शन/माह से घटाकर  150/कनेक्शन/माह करने का प्रस्ताव।

**II. ऊर्जा शुल्क में सभी श्रेणियों पर 35 पैसे की वृद्धि।**

उपरोक्त प्रस्तावित टैरिफ संरचना के साथ, एनबीपीडीसीएल ने प्रस्तावित टैरिफ से कुल राजस्व  17942.23 करोड़ का अनुमान किया है। तदनुसार, एनबीपीडीसीएल ने उपर्युक्त टैरिफ युक्तिकरण एवं टैरिफ परिवर्तन के कारण राजस्व में कमी / (वृद्धि) का अनुमान लगाया है तथा शुद्ध राजस्व अंतर / (अधिशेष) की गणना नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित की है :-

**(ख) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित टैरिफ के अनुसार राजस्व में कमी / (वृद्धि)**

क्रम संख्या	विवरण	एसबीपीडीसीएल (करोड़ रुपये में)
1	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु शुद्ध राजस्व अंतर / (अधिशेष)	(383.12)
2	टैरिफ युक्तिकरण एवं टैरिफ परिवर्तन के कारण राजस्व में कमी / (वृद्धि)	(353.21)
3	प्रस्तावित टैरिफ युक्तिकरण एवं टैरिफ परिवर्तन सहित वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु शुद्ध राजस्व अंतर / (अधिशेष)	(736.33)
4	APTEL निर्णय दिनांक 19.12.2024 का वहन लागत सहित कुल प्रभाव (वहन लागत सहित)	2220.07
5	APTEL निर्णय के कुल प्रभाव से प्रस्तावित समायोजन (शुद्ध राजस्व अंतर / (अधिशेष) हेतु	736.33
6	APTEL के उपरोक्त आदेशानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत शेष राशि (4-5)	1483.75

- APTEL के आदेश दिनांक 19.12.2024 (RP No. 21/2023 एवं RP No. 22/2023) का संदर्भ लेते हुए एनबीपीडीसीएल को वहन लागत सहित कुल  2220 करोड़ वसूलना है, जिसमें से  736.33 करोड़ की वसूली वित्तीय वर्ष 2026-27 के टैरिफ के माध्यम से प्रस्तावित की गई है; आदेश का संबंधित भाग इस प्रकार है:

".....the Revenue Surplus of previous years i.e. prior to reorganisation (01.11.2012) is not to be adjusted from ARR of Review Petitioners for FY 2015-16. However, considering consumer

interest, to aware tariff shock, the State Commission may consider adjustment of such deductions made from ARR of FY 2015-16 in favour of Discoms along with applicable carrying cost spread over certain years in the ensuing tariff orders as permitted under National Tariff Policy 2016.....”

एनबीपीडीसीएल ने प्रस्तावित किया है कि शेष राशि ₹1483.75 करोड़ (₹2220.07 करोड़ - ₹736.33 करोड़) आगामी वर्षों में वसूल की जाएगी अथवा राज्य सरकार से प्राप्त लाभ के माध्यम से समायोजित की जाएगी।”

3. बिजली की खुदरा बिक्री के लिए मौजूदा दर एवं वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित टैरिफ दरें (₹0 में)।

वर्तमान वर्ग	बी0ई0आर0सी0 स्वीकृत टैरिफ – वर्ष 2025-26				प्रस्तावित टैरिफ – वर्ष 2026-27			
	नियत प्रभार	ईकाईयाँ	ऊर्जा प्रभार	ईकाईया	नियत प्रभार	ईकाईया	ऊर्जा प्रभार	ईकाईयाँ
निम्न विभव आपूर्ति								
घरेलू								
कुटीर ज्योति मीटरिकृत								
0-50 यूनिट			7.42				7.77	
50 यूनिट के उपर	20	रुपये/माह /संबंध	घरेलू 1 या घरेलू 2 के अनुसार	रुपये/के0डब्लू 0एच0	20	रुपये/माह /संबंध	7.77	रुपये/के0ड ब्लू0एच0
डीएस-1 ग्रामीण मीटरिकृत (मांग आधारित)								
सम्पूर्ण उपभोग के लिए	40	रुपये/किलोवाट या अंश भाग / माह	7.42	रुपये/के0डब्लू 0एच0	40	रुपये/किलोवाट /माह	7.77	रुपये/के0ड ब्लू0एच0
डीएस-II (मांग आधारित)								
प्रथम 100यूनिट	80	रुपये/किलोवाट या अंश भाग / माह	7.42	रुपये/के0डब्लू 0एच0	80	रुपये/किलोवाट /माह	7.77	रुपये/के0ड ब्लू0एच0
100 यूनिट के उपर	80	रुपये/किलोवाट या अंश भाग / माह	8.95	रुपये/के0डब्लू 0एच0	80	रुपये/किलोवाट /माह	7.77	रुपये/के0ड ब्लू0एच0
डीएस-III मांग आधारित(रैच्छिक)	80	रुपये/किलोवाट या अंश भाग / माह	9.03	रुपये/के0डब्लू 0एच0	80	रुपये/किलोवाट /माह	9.38	रुपये/के0ड ब्लू0एच0
गैर घरेलू सेवा								
एन0डी0एस0-I मांग आधारित- मीटरिकृत								
प्रथम 100 यूनिट	60	रुपये/के0भी0ए0 या अंश भाग /	7.79	रुपये/के0भी0ए0	60	रुपये/के0भी0ए0 या अंश भाग /	8.14	रुपये/के0भी0ए0

वर्तमान वर्ग	बी0ई0आर0सी0 स्वीकृत टैरिफ – वर्ष 2025–26				प्रस्तावित टैरिफ – वर्ष 2026–27			
	नियत प्रभार	ईकाईयाँ	ऊर्जा प्रभार	ईकाईया	नियत प्रभार	ईकाईया	ऊर्जा प्रभार	ईकाईयाँ
		माह				माह		
100 यूनिट के उपर	60	रुपये / के0भी0ए0 या अंश भाग / माह	8.21	रुपये / के0भी0ए0	60	रुपये / के0भी0ए0 या अंश भाग / माह	8.14	रुपये / के0भी0ए0
एन0डी0एस0-II (मांग आधारित)								
मीटरीकृत संविदा माँग < 0.5 किलोवाट तक								
मीटरीकृत संविदा माँग < 0.5 किलोवाट	200	रुपये / माह / संबंध	7.73	रुपये / के0डब्लू0एच0	150	रुपये / माह / संबंध	8.08	रुपये / के0डब्लू0एच0
मीटरीकृत संविदा माँग > 0.5 किलोवाट से 70 किलोवाट तक								
प्रथम 100 यूनिट	300	रुपये / के0भी0ए0 या अंश भाग / माह	7.73	रुपये / के0भी0ए0एच0	300	रुपये / के0भी0ए0 या अंश भाग / माह	8.08	रुपये / के0भी0ए0एच0
100 यूनिट के ऊपर	300	रुपये / के0भी0ए0 या अंश भाग / माह	8.93	रुपये / के0भी0ए0एच0		रुपये / के0भी0ए0 या अंश भाग / माह		रुपये / के0भी0ए0एच0
स्ट्रीट लाईट सेवा								
मीटरीकृत (संबंध भार)	100	रुपये / किलोवाट या अंश भाग / माह	9.03	रुपये / के0डब्लू0एच0	100	रुपये / किलोवाट / माह	9.38	रुपये / के0डब्लू0एच0
मीटर रहित	4250	रुपये / किलोवाट या अंश भाग / माह	-	-	4250	रुपये / किलोवाट / माह	-	-
सिंचाई एवं कृषि सेवा (आई0ए0एस0)								
आई0ए0एस0-I (संबंध भार आधारित)								
मीटर रहित	1350	रुपये / एच0 पी0 या उसके भाग / माह	-	-	1350	रुपये / एच0 पी0 / माह	-	-
मीटरीकृत	100	रुपये / एच0 पी0 या	6.74	रुपये / के0डब्लू0एच0	100	रुपये / एच0 पी0 / माह	7.09	रुपये / के0डब्लू0एच0

वर्तमान वर्ग	बीईआरसी स्वीकृत टैरिफ - वर्ष 2025-26				प्रस्तावित टैरिफ - वर्ष 2026-27			
	नियत प्रभार	ईकाईयाँ	ऊर्जा प्रभार	ईकाईया	नियत प्रभार	ईकाईया	ऊर्जा प्रभार	ईकाईयाँ
		उसके भाग / माह						
आईएस-II मीटरिकृत								
आईएस-II मीटरिकृत	500	रुपये / केभीए0 या अंश भाग / माह	7.17	रुपये / केभीए0एच0	500	रुपये / केभीए0 / माह	7.52	रुपये / केभीए0एच0
पब्लिक वाटर वर्क्स								
पीडब्लूडब्लू (मांग आधारितकेभीए0एच0)	630	रुपये / केभीए0 या अंश भाग / माह	9.72	रुपये / केभीए0एच0	630	रुपये / केभीए0 / माह	10.07	रुपये / केभीए0एच0
हर घर नल (संबंध भार आधारित)	100	रुपये / एच0 पी0 या उसके भाग / माह	8.16	रुपये / के0डब्लू0एच0	100	रुपये / एच0 पी0 / माह	8.51	रुपये / के0डब्लू0एच0
निम्न विभव औद्योगिक सेवा (एलटीआईएस)								
निम्न विभव औद्योगिक सेवा -I(0-19 किलोवाट)	288	रुपये / केभीए0 या अंश भाग / माह	7.79	रुपये / केभीए0एच0	288	रुपये / केभीए0 / माह	8.14	रुपये / केभीए0एच0
निम्न विभव औद्योगिक सेवा-II (>19-74 किलोवाट)	360	रुपये / केभीए0 या अंश भाग / माह	7.79	रुपये / केभीए0एच0	360	रुपये / केभीए0 / माह	8.14	रुपये / केभीए0एच0
निम्न विभव ईभी चार्जिंग स्टेशन (मीटरिकृत)	-		8.72	रुपये / केभीए0एच0	-		9.07	रुपये / केभीए0एच0
एचटी सामान्य								
एचटीएस- (सामान्य) I (11 के भी)	550	रुपये / केभीए0 / माह	7.98	रुपये / केभीए0एच0	550	रुपये / केभीए0एच0 / माह	8.33	रुपये / केभीए0एच0
एचटीएस- (सामान्य) II (33 के भी)	550	रुपये / केभीए0 / माह	7.92	रुपये / केभीए0एच0	550	रुपये / केभीए0एच0 / माह	8.27	रुपये / केभीए0एच0
एचटीएस- (सामान्य) III (132 के भी)	550	रुपये / केभीए0 / माह	7.85	रुपये / केभीए0एच0	550	रुपये / केभीए0एच0 / माह	8.20	रुपये / केभीए0एच0
एचटीएस-	550	रुपये /	7.79	रुपये /	550	रुपये /	8.14	रुपये /

वर्तमान वर्ग	बी०ई०आर०सी० स्वीकृत टैरिफ – वर्ष 2025–26				प्रस्तावित टैरिफ – वर्ष 2026–27			
	नियत प्रभार	ईकाईयाँ	ऊर्जा प्रभार	ईकाईया	नियत प्रभार	ईकाईया	ऊर्जा प्रभार	ईकाईयाँ
(सामान्य) IV (220 के० भी०)		के०भी०ए० / माह		के०भी०ए०एच०		के०भी०ए०ए च० / माह		के०भी०ए०एच ०
एच०टी०एस०– (सामान्य) V (400 के० भी०)	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	7.72	रुपये / के०भी०ए०एच०	550	रुपये / के०भी०ए०ए च० / माह	8.07	रुपये / के०भी०ए०एच ०
आई०ए०एस० (कोल्ड स्टोरेज) 11 के० भी०	100	रुपये / के०भी०ए० / माह	6.74	रुपये / के०भी०ए०एच०	100	रुपये / के०भी०ए०ए च० / माह	7.09	रुपये / के०भी०ए०एच ०
<b>एच०टी० औद्योगिक सेवा</b>								
एच०टी०आई०एस०– (औद्योगिक) I (11 के० भी०)	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	7.98	रुपये / के०भी०ए०एच०	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	8.33	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०आई०एस०– (औद्योगिक) II (33 के० भी०)	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	7.92	रुपये / के०भी०ए०एच०	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	8.27	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०आई०एस०– (औद्योगिक) III (132 के० भी०)	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	7.85	रुपये / के०भी०ए०एच०	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	8.20	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०आई०एस०– (औद्योगिक) IV (220 के० भी०)	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	7.79	रुपये / के०भी०ए०एच०	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	8.14	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०आई०एस०– (औद्योगिक) V (400 के० भी०)	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	7.72	रुपये / के०भी०ए०एच०	550	रुपये / के०भी०ए० / माह	8.07	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०एस०एस० (11/33 के० भी०)	800	रुपये / के०भी०ए० / माह	4.94	रुपये / के०भी०ए०एच०	800	रुपये / के०भी०ए० / माह	5.29	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०एस०एस० (220/132 के० भी०)	800	रुपये / के०भी०ए० / माह	4.94	रुपये / के०भी०ए०एच०	800	रुपये / के०भी०ए० / माह	5.29	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०आई०एस०–I (ऑक्सीजन उत्पादन) (11 के० भी०)	1000	रुपये / के०भी०ए० / माह	5.43	रुपये / के०भी०ए०एच०	1000	रुपये / के०भी०ए० / माह	5.78	रुपये / के०भी०ए०एच ०
एच०टी०आई०एस०– (औद्योगिक) I (ऑक्सीजन उत्पादन) (33 के० भी०)	1000	रुपये / के०भी०ए० / माह	5.37	रुपये / के०भी०ए०एच०	1000	रुपये / के०भी०ए० / माह	5.72	रुपये / के०भी०ए०एच ०



वर्तमान वर्ग	बी0ई0आर0सी0 स्वीकृत टैरिफ – वर्ष 2025–26				प्रस्तावित टैरिफ – वर्ष 2026–27			
	नियत प्रभार	ईकाईयाँ	ऊर्जा प्रभार	ईकाईया	नियत प्रभार	ईकाईया	ऊर्जा प्रभार	ईकाईयाँ
रेलवे ट्रैक्शन सेवा	540	रूपये / के0भी0ए0 / माह	8.16	रूपये / के0भी0ए0एच0	540	रूपये / के0भी0ए0 / माह	8.51	रूपये / के0भी0ए0एच0
उच्च विभव ई0भी0 चार्जिंग स्टेशन (मीटरिकृत)	-		7.85	रूपये / के0भी0ए0एच0	-		8.20	रूपये / के0भी0ए0एच0

4 एन०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए टैरिफ के नियमों और शर्तों में जारी एवं नये प्रस्तावित परिवर्तन।

(क) व्हीलिंग एवं ओपेन एसेस शुल्क।

क्रमसं०	विवरण	बी0ई0आर0सी0 द्वारा स्वीकृत टैरिफ – वर्ष 2025–26	प्रस्तावित टैरिफ – वर्ष 2026–27
1.	व्हीलिंग शुल्क		
क	33 के0 भी0	50 पैसे / के0डब्लू0एच0	1.28 रू0 प्रति के0डब्लू0एच0
ख	11 के0 भी0	52 पैसे / के0डब्लू0एच0	1.33 रू0 प्रति के0डब्लू0एच0
2.	क्रॉस सब्सिडी शुल्क		
क	132 के0 भी0	1.86 रू0 / के0डब्लू0एच0	1.57रू0 प्रति के0डब्लू0एच0
ख	33 के0 भी0	1.86 रू0 / के0डब्लू0एच0	1.58रू0 प्रति के0डब्लू0एच0
ग	11 के0 भी0	1.86 रू0 / के0डब्लू0एच0	1.60रू0 प्रति के0डब्लू0एच0
घ	एच0टी0एस0एस0	वोल्टेज स्तर के अनुसार	0.99 रू0 प्रति के0डब्लू0एच0
3	अतिरिक्त सरचार्ज	-	-
4	संघनन शुल्क	माननीय आयोग द्वारा निर्धारित	माननीय आयोग द्वारा निर्धारित
5	रिएक्टिव ऊर्जा शुल्क	6 पैसे / के0भी0ए0आर0एच0	10 पैसे / के0भी0ए0आर0एच0

(ख) टैरिफ युक्तिकरण (डीएस-II तथा एनडीएस-I&II)

DS-II तथा NDS-I एवं NDS-II की वर्तमान दो स्लैबों को एकल स्लैब में परिवर्तित किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए निम्नतर स्लैब का वर्तमान टैरिफ लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) एनडीएस-II (0.5 किलोवाट तक) के लिए नियत शुल्क में कमी।

याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु एनडीएस-II के लिए 0.5 किलोवाट तक के संविदात्मक भार पर नियत शुल्क को  200 प्रति कनेक्शन प्रति माह से घटाकर  150 प्रति कनेक्शन प्रति माह करने का प्रस्ताव है।

(घ) बिलिंग मांग

यह प्रस्ताव दिया गया है कि बिलिंग डिमांड मासिक रूप से दर्ज की गई अधिकतम डिमांड अथवा संविदात्मक डिमांड का 85% जो भी अधिक हो वही होगी।

यदि लगातार तीन माह तक ओवरड्रॉअल (अधिक खपत) की घटनाएँ होती हैं, तो ऐसे उपभोक्ताओं का डिमांड उसी लोड के अनुसार बढ़ा दी जाएगी जिसमें दर्ज की गई डिमांड उस बिलिंग चक्र में आती है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे पर भी अधिकतम संविदात्मक डिमांड/लोड के उल्लंघन पर दंड लागू होगा।

(ङ) समय पर भुगतान हेतु रियायत (स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को छोड़कर)।

यह भी प्रस्तावित है कि एलटी श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं को बिल निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर समय पर भुगतान करने पर बिल राशि पर 1.5%की रियायत दी जाएगी।

**(च) ऑनलाइन भुगतान हेतु रियायत (स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को छोड़कर) ।**

जो उपभोक्ता ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से नियत तिथि के भीतर बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें 1% अतिरिक्त रियायत दी जाएगी, जो 1.5% समय पर भुगतान रियायत के अतिरिक्त होगी। हालाँकि, ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान के अंतर्गत अधिकतम रियायत ₹50,000 तक ही उपलब्ध होगी।

**(छ) स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं हेतु रियायत ।**

स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर प्रति यूनिट 25 पैसे की रियायत दी जाएगी।

**(ज) ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु निरंतर भुगतान पर रियायत ।**

ग्रामीण पोस्टपेड उपभोक्ताओं द्वारा ऑफलाइन भुगतान लगातार करने पर, आगामी माह में पिछले तिमाही के कुल मासिक बिल का 1% रियायत के रूप में दिया जाएगा।

**(झ) सिंचाई एवं सहायक सेवाएँ ।**

मशरूम खेती (इसके प्रसंस्करण एवं विनिर्माण को छोड़कर) को सिंचाई एवं सहायक सेवाओं की श्रेणी में शामिल किये जाने का प्रस्ताव।

**(ञ) स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं हेतु टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ संरचना की प्रयोज्यता ।**

यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित हैं और जिनकी संविदात्मक डिमांड 10 किलोवाट से अधिक है (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर), उनके लिए निम्नलिखित TOD टैरिफ लागू होगा।

समय सारणी	मांग शुल्क	ऊर्जा शुल्क
(i) सामान्य (11:00 pm - 09:00 am)	सामान्य दर	उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार सामान्य दर
(ii) पीक (05:00 pm - 11:00 pm)	सामान्य दर	(i) सामान्य ऊर्जा शुल्क दर का 120% (एनडीएस-I, एनडीएस-II, एलटीआईएस-I, एलटीआईएस-II तथा एचटी श्रेणियों पर लागू) (ii) सामान्य ऊर्जा शुल्क दर का 110% (अन्य श्रेणियों पर लागू)
(iii) ऑफ पीक (09:00 am - 05:00 pm)	सामान्य दर	ऊर्जा शुल्क की सामान्य दर का 80%

**(ट) एचटीएसएस एवं एचटीआईएस उपभोक्ताओं हेतु लोड फैक्टर प्रोत्साहन**

एचटीएसएस (HTSS) तथा एचटीआईएस (HTIS) उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित लोड फैक्टर प्रोत्साहन शुरू करने का प्रस्ताव पूर्व की तरह जारी रहेगा।

एचटीएसएस(HTSS) उपभोक्ता

लोड फैक्टर रेंज	प्रस्तावित छूट
>65%-70%	पूरे बिलिंग माह की ऊर्जा खपत पर प्रति यूनिट 10 पैसे की रियायत (65%से अधिक और 70% तक लोड फैक्टर पर)
>70%-80%	पूरे बिलिंग माह की ऊर्जा खपत पर प्रति यूनिट 15 पैसे की रियायत (70% से अधिक और 80% तक लोड फैक्टर पर)
80%से अधिक	पूरे बिलिंग माह की ऊर्जा खपत पर प्रति यूनिट 25 पैसे की रियायत (80% से अधिक लोड फैक्टर पर)

एचटीआईएस (HTIS) उपभोक्ता

लोड फैक्टर रेंज	प्रस्तावित छूट
>40%-60%	बिलिंग माह में 40% से अधिक और 60% तक लोड फैक्टर की ऊर्जा खपत पर प्रति यूनिट 10 पैसे की रियायत
>60%-70%	बिलिंग माह में 60% से अधिक और 70% तक लोड फैक्टर की ऊर्जा खपत पर प्रति यूनिट 20 पैसे की रियायत
70%से अधिक	बिलिंग माह में 70% से अधिक लोड फैक्टर की ऊर्जा खपत पर प्रति यूनिट 25 पैसे की रियायत

(ठ) ग्रीन टैरिफ की शुरुआत के माध्यम से भावी उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना।

ग्रीन टैरिफ (1.65रु0 प्रति के0डब्लू0एच0) को संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो डिस्कॉम के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने का विकल्प चुनते हैं।

(ड) सरकारी उपभोक्ताओं को छोड़कर स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं (<20 किलोवाट) के लिए उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान पर अतिरिक्त लाभ

डिस्कॉम का प्रस्ताव है कि सरकारी उपभोक्ताओं को छोड़कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं (<20 किलोवाट) को पूर्व के तरह अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, यदि उपभोक्ता अपना अग्रिम भुगतान इस प्रकार रख सकते हैं :

क्र०सं०	ब्यौरा	विवरण
1	अग्रिम राशि $\geq$ रु 2000 और अवधि न्यूनतम तीन (3) माह	अग्रिम अवधि के दौरान लागू आरबीआई बैंक दर
2	अग्रिम राशि $\geq$ रु 2000 और अवधि > तीन (3) महीने और < छह (6) महीने	अग्रिम अवधि के दौरान लागू आरबीआई बैंक दर प्लस 0.25%
3	अग्रिम राशि $\geq$ रु 2000 और अवधि > छह (6) महीने	समय-समय पर लागू आरबीआई बैंक दर प्लस 0.5%

एनबीपीडीसीएल द्वारा अतिरिक्त लाभ का प्रस्ताव स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं (<20 किलोवाट) को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर के समकक्ष ब्याज के अनुसार अतिरिक्त लाभ पूर्व के तरह ही लागू रहेगा, बशर्त अग्रिम भुगतान की न्यूनतम राशि  $\geq$  2000 से कम न हो और यह अधिकतम लगातार 3 माह तक की अवधि को कवर करे।

(ढ) शंट कैपेसिटर स्थापना एवं पावर फैक्टर के मानक से विचलन पर रियायत/अधिभार

एनबीपीडीसीएल प्रस्ताव करता है कि कोई भी एलटी उपभोक्ता (घरेलू श्रेणी, कृषि उपभोक्ता एवं वे श्रेणियाँ जिनमें kVAh आधारित बिलिंग होती है को छोड़कर), जिनके मीटर में पावर फैक्टर रिकॉर्डिंग की सुविधा है और जो मासिक औसत पावर फैक्टर 90% बनाए रखने में विफल रहते हैं, उन्हें सामान्य लागू टैरिफ के अतिरिक्त निम्नलिखित दर के अनुसार अधिभार/रियायत देय होगी :-

पावर फैक्टर अधिभार (Surcharge)	
पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 की गिरावट (0.80 तक)	मांग एवं ऊर्जा शुल्क (वास्तविक दर्ज) पर 1% अधिभार
पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 की गिरावट (0.80 से नीचे)	मांग एवं ऊर्जा शुल्क (वास्तविक दर्ज) पर 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) अधिभार
पावर फैक्टर रियायत (Rebate)	
पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 की वृद्धि (0.90 से ऊपर और 0.95 तक)	मांग एवं ऊर्जा शुल्क (वास्तविक दर्ज) पर 0.5% (आधा प्रतिशत) रियायत
पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.01 की वृद्धि (0.95 से ऊपर)	मांग एवं ऊर्जा शुल्क (वास्तविक दर्ज) पर 1% (एक प्रतिशत) रियायत

हालाँकि, कृषि उपभोक्ताओं (IAS-I) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में पावर फैक्टर अधिभार लागू नहीं होगा।

(ण) पूर्ण नियत/मांग शुल्क की वसूली (स्ट्रीट लाइट, कृषि तथा बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं पर लागू नहीं)

एनबीपीडीसीएल प्रस्ताव करता है कि पूर्ण मांग शुल्क तभी वसूला जाएगा जब उपभोक्ता के मीटर द्वारा दर्ज विद्युत आपूर्ति बिलिंग माह में प्रतिदिन कम से कम 21 घंटे उपलब्ध हो। यदि किसी माह में विद्युत आपूर्ति 21 घंटे/दिन से कम रहती है, तो उस माह का मांग शुल्क प्रो-राटा आधार पर लगाया जाएगा।

**(त) ईंधन एवं विद्युत समायोजन अधिभार (FPPAS)**

एनबीपीडीसीएल प्रस्ताव करता है कि FPPAS लागू अनुसार अतिरिक्त रूप से वसूला जाएगा।

**(थ) विलंबित भुगतान अधिभार (DPS)**

एनबीपीडीसीएल प्रस्ताव करता है कि यदि उपभोक्ता नियत तिथि के बाद दिए गए 10 दिनों की अनुग्रह अवधि में ऊर्जा बिल का पूर्ण भुगतान नहीं करता है, तो बकाया मूल राशि पर प्रति माह या उसके भाग पर 1.5% लम्बित भुगतान अधिभार (DPS) वसूला जाएगा।

**(द) अन्य सभी शर्तें एवं नियम**

एचटी एवं एलटी टैरिफ की अन्य सभी शर्तें एवं नियम, जिनमें विविध एवं सामान्य शुल्क शामिल हैं और जिनमें वित्तीय वर्ष 2026-27 की टैरिफ याचिका में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है, पूर्व के तरह जारी रहेंगे।

- उपरोक्त पैरा-1 में संदर्भित याचिका की प्रतियां तदोपरांत दाखिल अतिरिक्त सूचना एवं आयोग के प्रश्नों का उत्तर की प्रति मुख्य अभियंता (वाणिज्य), एन0बी0पी0डी0सी0एल0, चतुर्थ तल, विद्युत भवन-3, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना के कार्यालय में उपलब्ध है एवं इसके अतिरिक्त सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के कार्यालयों में भी उपलब्ध है। टैरिफ याचिका की प्रति याचिकाकर्ता के कार्यालय वेबसाइट [www.nbpdc.co.in](http://www.nbpdc.co.in) एवं आयोग के वेबसाइट [www.berc.co.in](http://www.berc.co.in) पर भी उपलब्ध है।
- इच्छुक व्यक्ति उल्लेखित टैरिफ याचिका का अवलोकन एवं निरीक्षण किसी भी उल्लेखित कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति उल्लेखित टैरिफ याचिका के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो आपत्ति/सुझाव सहायक सामग्री के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा निबंधित डाक के माध्यम से **सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, भूतल, विद्युत भवन-2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना 800021** को दिनांक 29.12.2025 तक समर्पित किया जा सकता है। जिसकी एक प्रति मुख्य अभियंता (वाणिज्य), एन0बी0पी0डी0सी0एल0, चतुर्थ तल, विद्युत भवन-3, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800021 को भी उपलब्ध कराया जाय।
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जाएगी जिसके स्थान एवं तिथि की सूची निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	स्थान	दिनांक	समय	स्थान
1.	पटना	06.01.2026	11:30 बजे सुबह	विनियामक आयोग का कोर्ट रूम, विद्युत भवन-2, बेली रोड, पटना
2.	बेगूसराय	12.01.2026	11:30 बजे सुबह	समाहरणालय का सभाकक्ष, बेगूसराय
3.	पटना	05.02.2026	11:30 बजे सुबह	विनियामक आयोग का कोर्ट रूम, विद्युत भवन-2, बेली रोड, पटना

स्थान :- पटना

दिनांक :- 3-12-2025

*gh*  
03.12.25

**मुख्य अभियंता (वाणिज्य)**

एन0बी0पी0डी0सी0एल0,

चतुर्थ तल, विद्युत भवन-3, जवाहर

लाल नेहरू मार्ग, पटना-800021

